प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **165 / 2025** (अपील सूचना का अधिकार)
सुरेश कुमार कोठारी पुत्र स्व. सोहन लाल कोठारी पताः कन्याशाला के पास, तहसील–वल्लभनगर, उदयपुर

.............अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार वल्लभनगर, उदयपुर

..................प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 14/01/2026

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 18.08.2025 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नही करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय के पत्रांक रीडर / सू.अ.2005 / प्रथम अपील / 165 / 25 / 995–96 दिनांक 26.09.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकार एवं तहसीलदार वल्लभनगर द्वारा जरिये पत्रांकः आरटीआई / 2025 / 99 दिनांक 15.10.2025 से प्रत्युत्तर प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को अवगत कराया गया कि संदर्भित पत्र के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र संवहन से आरटीआई शाखा में अप्राप्त होने से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी। उक्त अपील से संबंधित दस्तावेज भी नियत दिनांक से पूर्व शाखा प्रभारी को अप्राप्त होनें से उक्त अपील का अपीलोत्तर समयबद्ध भिजवाया जाना संभव नहीं हो सका। अतः श्रीमान से करबद्ध निवेदन है कि उपरोक्त अपीलोत्तर भिजवाने हेतु 15 दिवस की अवधि का समय दिलाने का श्रम करावे ताकि प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाते हुए अपीलोत्तर प्रेषित किया जा सके।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार वल्लभनगर द्वारा जरिये पत्रांक 99 दिनांक 15.10.2025 से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने एवं अपीलोत्तर प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा गया था परन्तु आज दिनांक तक प्रकरण में कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है। जो प्रत्यर्थी की राजकार्य के प्रति उदासीनता का सूचक है।

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार वल्लभनगर को निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों की पूर्ण पालना करते हुए अपीलार्थी को नियमानुसार 15 दिवस में सूचना उपलब्ध कराये एवं की गई कार्यवाही से इस न्यायालय को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14-01-2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि. एवं
जिला कलक्टर, उदयपुर